

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, “मेट्रो प्लाज़ा”, बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-30/2016

मेसर्स जी.एम. मेटल्स,
प्रो० – श्री अनिल चौहान,
53, प्रीति नगर, पीथमपुर,
जिला—धार (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालक यंत्री (संचा./संधा.)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
पीथमपुर, जिला—धार (म.प्र.)

— अनावेदक

पुनरीक्षित आदेश
(दिनांक 26.08.2020 को पारित)

- 01.** मेसर्स जी०एम० मेटल्स, प्रो० – श्री अनिल चौहान, 53, प्रीति नगर, पीथमपुर, जिला – धारा (म.प्र.) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर को अपनी लिखित शिकायत दिनांक 21.02.2017 से अनुज्ञापिताधारी म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, देवास द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत निकाली गई रिकवरी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत कालबाधित होने से निरस्त करने की मांग की थी, जिस पर फोरम ने यह संज्ञान लेते हुए कि प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत हैं, जिसको सुनने का अधिकार फोरम को नहीं है, आवेदक की शिकायत अपने पत्र क्रमांक 180 दिनांक 25.02.2017 से निरस्त कर दी थी ।
- 02.** फोरम के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा अपने लिखित प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2017 से विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । आवेदक की अपील को प्रकरण क्रमांक एल००-३०/२०१७ पर दर्ज कर विद्युत लोकपाल के विभिन्न तिथियों में सुनवाई कर आवेदक की अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 18.05.2017 को आदेश जारी किया जिसमें अनावेदक द्वारा

निकाली गई रिकवरी को विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में – अधिनियम) की धारा 56(2) के अन्तर्गत कालबाधित मानते हुए निरस्त करने का निर्णय दिया गया ।

अनावेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के उक्त आदेश के तहत माननीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009 के विनियम 5.3 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया । माननीय आयोग द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009 के विनियम 4.11 के तहत अपने आदेश दिनांक 25.09.2017 से विद्युत लोकपाल को उक्त आदेश को पुनः सुनवाई करने के उपरांत आदेश दिनांक 18.05.2017 की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया ।

माननीय आयोग के निर्देशानुसार नई सुनवाई कर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद लोकपाल द्वारा पाया गया कि अनावेदक का कथन कि अधिनियम की धारा 126 के तहत निकाली गई रिकवरी को अधिनियम की धारा 56(2) के तहत परिवर्तित कर निरस्त नहीं किया जा सकता के बारे में कोई भी प्रावधान ना तो विद्युत अधिनियम 2003 में और ना ही म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009 में और ना विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में प्रावधान है । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रकरणों को विद्युत लोकपाल द्वारा नहीं सुना जाएगा ऐसा प्रावधान भी म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009 में नहीं है । इस आधार पर लोकपाल ने दिनांक 08.11.2017 को पुनरीक्षित आदेश पारित करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 18.05.2017 को यथावत् रखे जाने का निर्णय दिया ।

03. विद्युत लोकपाल द्वारा पुनरीक्षित आदेश दिनांक 08.11.2017 जारी करने के बाद अनावेदक द्वारा माननीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009” की कण्डिका 5.3 के अन्तर्गत पुनः लिखित आवेदन क्रमांक 2532 दिनांक 03.02.2018 प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 04.07.2018 से प्रकरण में पुनः सुनवाई कर विद्युत लोकपाल को अपने आदेश की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया है ।

माननीय आयोग ने प्रस्तुत दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए अपने आदेश के सरल क्र0 04 में पाया है कि :-

(4) In view of the documents submitted before the Commission, it is observed that the recovery of Rs. 1,64,592/- pertains to the assessment made by the licensee under Section 126 of the Electricity Act, 2003. The consumer challenged aforesaid assessment order issued under section 126 of Electricity Act 2003 before the Electricity Forum Indore by complaint dated 21.02.2017. The Electricity Forum did not entertain the complaint of respondent and by order dated 25.02.2017 held that the subject matter of respondent's application is outside Jurisdiction of Electricity Forum. The consumer filed appeal dated 10.03.2017 before the Electricity Ombudsman. The Electricity Ombudsman allowed the appeal of consumer and by order 18.05.2017 set aside the demand of Rs. 1,64,592/- on the grounds that the said recovery is barred by Section 56(2) of the Electricity Act 2003. As per the Electricity Ombudsman, the consumer has not challenged the assessment made by the Licensee U/s 126 of the Electricity Act, 2003. The consumer cannot change the ground in Appeal to the Ombudsman. The above case of unauthorized use of Electricity U/s. 126 of Electricity Act cannot be converted into or dealt with under Section 56(2) of the Electricity Act. The demand U/s. 126 is not covered under grievance as per Regulation 2.4(m) of the Regulations. Therefore, the Commission directs the Electricity Ombudsman to review its order after conducting fresh hearings.

04. माननीय आयोग के निर्देशानुसार प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 09.08.2018 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए। तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी। चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedul) की गई और प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 01.05.2019 को आयोजित की गई, बाद में दिनांक 01.05.2019 के बाद दिनांक 04.06.2019, 25.06.2019, 26.07.2019, 05.09.2019, 27.09.2019, 23.10.2019 एवं 04.11.2019 को सुनवाई आयोजित की गई। सुनवाईयों में आवेदक की ओर उनके अधिकृत प्रतिनिधीद्वय श्री जे. जी. ठोबरे, सलाहकार एवं श्री मुरलीधर गोयल, सलाहकार उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री एस0के0 मालवी, कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) एवं श्री योगेश शर्मा/ श्री आशीष जैन (विधि सहायक – सतर्कता) इन्दौर उपस्थित हुए।
05. उक्त सुनवाईयों में उभयपक्षों की ओर से निम्नानुसार तर्क प्रस्तुत किए गए :–

अनावेदक के तर्क :-

- (ए) प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 126 का होने के कारण विधिक प्रावधानानुसार फोरम को सुनने की अधिकारिता नहीं है, अतः प्रकरण माननीय फोरम द्वारा खारिज किया गया है। प्रकरण अधिनियम की धारा 126 के तहत दर्ज होने से सुनवाई का अधिकार धारा 127 के अन्तर्गत अपीलेट अथॉरिटी को है तथा प्रकरण माननीय लोकपाल के क्षैत्राधिकार के बाहर है।
- (बी) 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' (संक्षेप में – फोरम/विद्युत लोकपाल स्थापना विनियम 2009) की कण्डिका 4.11(a) के प्रावधानानुसार इस प्रकरण पर सुनवाई किया जाना फोरम तथा विद्युत लोकपाल के क्षैत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि प्रश्नाधीन प्रकरण अधिनियम की धारा 126 से संबंधित है और धारा 126 के अंतर्गत ही अन्तिम निर्धारण आदेश जारी कर राशि की मांग की गई है। अतः धारा 126 का प्रकरण होने के कारण इस पर सुनवाई किया जाना विद्युत लोकपाल के क्षैत्राधिकार से बाहर है। इसी विधिक प्रावधान के अनुसार फोरम ने आवेदक का वाद अस्वीकार किया है।
- (सी) फोरम/विद्युत लोकपाल स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका 2.4 (m) के प्रावधान अनुसार धारा 126 के अंतर्गत बनाए गए विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरण 'शिकायत' की परिधि में नहीं आते हैं इसलिए विद्युत लोकपाल को इनकी सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। इस तर्क के पक्ष में अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ की डिवीजन बैंच द्वारा रिट अपील क्र0 10/2012 कुतुबुद्दीन विरुद्ध म0प्र0प0क्ष0वि0वि0क0लि0 एवं अन्य में दिनांक 17.01.2012 को पारित आदेश संदर्भित कर दृष्टांत इस आदेश के पैरा – 7 को अनावेदक ने अपने तर्क के समर्थन में उद्द्यृत किया। इस आदेश की प्रति जो कि एक अन्य प्रकरण एल00 44/2017 से ली गई।

**Write Appeal No. 10/2012 Qutubuddin V/s MPPKVCO Ltd. & other,
Hon'ble High Court Bench, Indore.**

Date of Order :- 17-01-2012

प्रतिवादी कम्पनी द्वारा वादी के परिसर में विजिलेन्स चेकिंग में अनाधिकृत विद्युत का उपयोग पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 (1) {संक्षेप में – अधिनियम} की धारा 126 के अन्तर्गत जारी आंकलित बिल रु0 5,06,056/- की राशि का भुगतान वादी से प्राप्त नहीं होने पर वादी के परिसर का विद्युत प्रदाय विच्छेदन किए जाने से क्षुब्धि

होकर वादी ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्डौर सिंगल बैंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बैंच के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की थी। माननीय सिंगल बैंच ने अपने आदेश में वादी को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (संक्षेप में – फोरम) के समक्ष जाने के लिए निर्देशित किया था। माननीय डिवीजन बैंच के इस आदेश दिनांक 17.01.2012 का पैरा – 7 निम्नानुसार उद्घृत है :–

“7. Before dealing with the question raised in this appeal, it would be appropriate to consider the relevant provisions of the Act. Section 42 (5) of the Act provides for establishment of a forum for redressal of grievances of the consumers, in accordance with the guidelines as may be specified by the State Commission. It provides that every distribution licensee shall, within six months from the appointed date or date of grant of licence, shall establish such forum. MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the Consumers) (Revision-I) Regulations, 2009 (for short, Regulations) provides for constitution of the Forum. Clause 2 (m) of the Regulations defines the term 'Grievance'. The definition of the term 'Grievance' specifically excludes from its ambit the 'unauthorized use of electricity', as provided under Section 126 of the Act. In the circumstances, the Forum established under Section 42 (5) of the Act is not empowered to deal with the grievances of the consumers regarding 'unauthorized use of electricity', as provided under Section 126 of the Act. As would be clear from the pleadings raised by the parties, the disconnection of the electricity connection in question is not on account of any other dues, but is ordered on account of nondeposit of the amount assessed by way of provisional assessment order dated 07.08.2007. Having regard to this position, in our considered view, the learned Single Judge has committed an error in relegating the appellant to the Grievance Redressal Forum for redressal of his grievance impugned before the writ Court. We are of the view that the grievance of the appellant is relating to the provisional assessment order passed on the basis of alleged unauthorized use of electricity and for redressal of the said grievance, the appellant cannot be directed to approach the Forum, as the said grievance cannot be adjudicated by the said Forum.

(ई) प्रश्नाधीन प्रकरण में धारा 126 के अंतर्गत जारी अन्तिम निर्धारण आदेश की राशि की वसूली अधिनियम की धारा 56(2) के अंतर्गत कालबाधित नहीं होती है। अनावेदक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निम्न निर्णयों की प्रतियां तथा आदेश दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत की हैं।

i) रिट क्रमांक 61204 आफ 2015, श्याम फेरस लि0 विरुद्ध उ0प्र0 शासन एवं 6
अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, आदेश दिनांक 23.12.2015

"Before parting we would mention that much emphasis has been laid that Section 56(2) of Electricity Act 2003 has been contextually misinterpreted whereas it has limited application only to the extent of disconnection and this Court in the case of Paliwal Alloys Pvt. Ltd. Vs. U.P. Power Corporation Ltd and others has failed to consider the said provision in its correct perspective and for this purpose reliance has been placed on the judgement of Bombay High Court in the case Awadesh S. Pandey Versus Tata Power Corporation Limited and others AIR 2007 Bom 52. Relevant para nos. 7 and 8 are being extracted below:-

7. We then come to the next issue as to whether the demand made by respondent No. 1 is contrary to the provision of Section 56 of the Electricity Act. We have already narrated the facts. The Electricity Ombudsman by his order of 18th July, 2006 held that the respondent No. 1 is entitled to recover past dues by correcting multiplying factor. The question posed by the Electricity Ombudsman to itself was whether the recovery could be made for the entire period of 26 months i.e. for a period from October, 2003 to November, 2004 and that too belatedly in January, 2006. After considering the various provisions including the regulations, the Ombudsman held. Only those charges for a period of two years previous to the demand could be recovered and that the arrears for the consumption in January, 2004 became first due in February, 2004 as supplementary bill was raised in 2006 and these dues having been within two years are recoverable under the provisions of Section 56(2) of the Electricity Act.

Submission of counsel for the petitioner is that the provisions of Section 56 do not empower respondent No. 1 to recover any amount if the period of two years has elapsed no can electricity supply be cut off for nonpayment of those dues. In other words what is sought to be contended is that if the demand or part of the demand is time barred the provisions of Section 56 would not be attracted. We are afraid, we cannot subscribe to that proposition. Section 56(1) is a special provision. Enabling the generating company or the licensee to cut-off supply of electricity until such charges or sum as demanded under Section 56(1) is paid. Relying on Sub-section (2). It was strenuously urged that Section 56(1) cannot be resorted to after the period of two years from the date when such demand became first due. In our opinion. Sub-section (2) only provides alimitation, that the recourse to recovery by cutting of electricity supply is limited for a period of two years from the date when such sum became due. As long a sum is due, which is within two years of the demand and can be recovered, the licensee of the generating company can exercise its power of coercive process of recovery by cutting of electricity supply. This is

a special mechanism provided to enable the licensee or the generating company to recover its dues expeditiously. The Electricity Act has provided that mechanism for improvement of supply of electricity and to enable the licensee or generating company to recover its dues. Apart from the above mechanism, independently it can make recovery by way of a suit. In our opinion. therefore, the impugned order passed by the Electricity Ombudsman does not suffer from any error apparent on the face of the record and consequently there is no merit in this petition."

- (ii) **LPA No. 605 of 2009, मे० अन्टार्कटिक इण्डस्ट्रीज एवं अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य विद्युत मण्डल एवं अन्य सहित 18 अन्य एल०पी०ए०**

माननीय पंजाब एवं हरियाण उच्च न्यायालय चण्डीगढ़, आदेश दिनांक 09.09.2011

कुल 19 एलपीए में संयुक्त रूप से दिए गए आदेश दिनांक 09.09.2020 के प्रश्नाधीन प्रकरण से संबंधित अंश निम्नानुसार उद्घृत हैं :-

"Another argument raised by learned counsel for the appellants, common to both set of cases, is that in terms of Section 56 of the Act the Board can claim arrears of the electricity charges for a period of two years alone. It is contended that the bill for the supply of electricity were issued between the months of March to October, 2008 but with effect from 01-04-2004 i.e. for the period exceeding two years. Therefore, such recovery is not tenable. We find that in the writ petitions, no such assertion based upon Section 56 of the Act has been made. Even otherwise, we find that Section 56 of the Act deals with power of disconnection of supply in default of payment of the electricity charges without prejudice to the rights of the Licensee in a suit. The bar under sub-section 2 of Section 56 of the Act is in respect of the action under the aforesaid Section. Therefore, Section 56 of the Act is a provision which given right to the Board to recover the arrears of electricity on the threat of disconnection of the supply. Such arrears are restricted for a period of two years, but it does not wipe off the recovery of arrears for more than two years. The right to recover arrears by way of suit has been specifically protected. Therefore, whether the electric supply can be disconnected in terms of Section 56 on the basis of arrears claimed, require verification of the facts. Therefore, we give liberty to the consumers to submit representation, if so advised, in respect of claim of arrears for a period exceeding two years. As and when such representations are filed, the Board shall consider the same and initiate appropriate proceedings for recovery either in terms of Section 56 of the Act or in other manner authorized by law."

अपने उक्त तर्कों के आधार पर अनावेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रकरण अधिनियम की धारा 56(2) की परिधि में आने के कारण सुनवाई योग्य बताया जा रहा है, जबकि प्रकरण मूलतः धारा 126 का होकर माननीय लोकपाल की सुनवाई के

क्षैत्राधिकारी के बाहर है एवं माननीय लोकपाल द्वारा दिनांक 18.05.2017 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण था। साथ ही निवेदन है कि धारा 126 के तहत बनाए गए पंचनामें की सुनवाई का अधिकार धारा 127 के तहत अपीलीय प्राधिकारी को है जो यह तय कर सकता है कि धारा 126 के तहत निर्धारित की गई राशि उचित है या अनुचित है।

(एफ) आवेदक का निवेदन है कि अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग का प्रकरण होने के कारण इसमें विद्युत लोकपाल को क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है, अतः विद्युत लोकपाल का आदेश दिनांक 18.05.2017 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाए।

06. आवेदक की ओर से उक्त सुनवाईयों में निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए :-

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत बनाए गए पंचनामों पर जारी निर्धारण आदेशों की राशि की वसूली हेतु विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा वसूली प्रक्रियां के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई ना ही सप्लाई कोड की धारा 8.33 के प्रावधानों के अनुसार मांग को माहवारी बिलों में चढ़ा कर जीवित रखा गया। विद्युत लोकपाल भोपाल द्वारा, दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत कालबाधित राशि को निरस्त कर दिया गया है।

धारा 126 की मांग राशि की वसूली हेतु धारा 56(1) के तहत 15 दिन का नोटिस देकर संयोग को काटा जाता है तो परिपूरक धारा 56(2) प्रभावी होगी। (यह कानूनी गुढ़ता है)। उपभोक्ता द्वारा फोरम एवं लोकपाल में वाद धारा 56(2) के तहत प्रस्तुत किया गया है यह वाद की grievances की श्रेणी में ही है। यह वाद वसूली विवाद बाबद है। उपभोक्ता का वाद धारा 126 का नहीं है। (कृपया विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मुद्दा (अ) बिना legal/ न्यायिक विश्लेषण के यह कहना सही नहीं है कि "The case of unauthorized use of electricity U/s 126 of Electricity Act cannot be converted in to or dealt with U/s 56(2) of the electricity Act." उपभोक्ता का ऐसा कर्तव्य उद्देश्य नहीं है, एकत्र में स्पष्ट नहीं है, विद्युत वितरण कंपनी इन्डौर के द्वारा न तो एकत्र में कोई प्रावधान होने का हवाला दिया है न ही उच्च न्यायालय के निर्णय न ही उच्चतम न्यायालय का कोई referral निर्णय या कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर उपरोक्त धारणा निकलती हो। नियामक आयोग को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है क्योंकि नियामक आयोग ने भी अपने आदेश में इस मुद्दे पर कोई कानूनी व्याख्या नहीं की है।

"Unauthorised use of Electricity as provided under section 126 of the Act" का अभिप्राय 126 की डिमाण्ड की वसूली की प्रक्रिया से कर्तव्य नहीं है। उपभोक्ता को न तो पंचनामे पर आपत्ति है न ही निर्धारण आदेश पर। 126 का प्रकरण/उसकी प्रक्रिया मांग निर्धारित होने तक है।

मुद्दा (ब) कंपनी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि The demand U/s 126 is not covered under grievances as per regulation 2.4(m) of the regulation. यह लेख सही नहीं है। सही लेख cases of 126 is not covered under grievances as per regulation 2.4(m) of the regulation. उपभोक्ता द्वारा फोरम/विद्युत लोकपाल के समक्ष धारा 56(2) के तहत बाद प्रस्तुत किया है। कम्पनी द्वारा मुद्दा अ के बाद मुद्दा ब उठाना भ्रम पैदा करता है। अगर अ सही नहीं तो ब को मान लो पर येन केन प्रकारेण राशि कालबाधित नहीं होना चाहिए।"

126 की वसूली के लिए जब 56(I) में संयोग काटा जाता है तो पुरक धारा 56(2) भी लागू होना ही है। ध्यानाकर्षण है कि विद्युत अधिनियम में धारा 135 को पेनालिट की श्रेणी में लेकर उसकी वसूली धारा 170 की विधा में साफ की गई है। साथ ही 135 में संयोग तत्काल काटा जाना है जबकि 126 में ऐसी कोई व्यवस्था अधिनियम में नहीं है।

उपभोक्ता द्वारा प्रकरण 56(2) के तहत कालबाधित वसूली के निरस्त करने हेतु विद्युत लोकपाल को प्रस्तुत किया गया है एवं लोकपाल महोदय द्वारा प्रकरण की ग्राहयता पर समस्त वैधानिक पहलुओं का विश्लेषण कर समीक्षा उपरान्त ही प्रकरण को ग्राहय कर विद्युत वितरण कंपनी को बार बार अवसर दिया जाकर 56(2) अंतर्गत निर्णय जारी किया गया।

विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा नियामक आयोग को प्रस्तुत आपत्ति आवेदन में Fact of the Case अंतर्गत विभिन्न 23 बिन्दु पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के उद्दहरण प्रस्तुत कर विधिक स्थिति स्पष्ट करने का भ्रामक प्रयास किया है। गंभीरता से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि दर्शायें गए किसी भी बिन्दु का यह आशय नहीं निकलता है कि 126 के तहत जारी निर्धारण आदेश के तहत देय राशि 56(2) के तहत कालबाधित नहीं होती है।

- महोदय प्रश्न यह है कि ओम्बसमेण्ट के बाद कौन, क्योंकि बार बार ओम्बसमेण्ट को अपने आर्डर रिक्लू करने हेतु कहा जाना natural law के विपरित है। इस पर महाराष्ट्र MPERC/REVIEW OF CGRF & O/1750 की प्रति मय नोट के संलग्न है। पत्र के अनुसार "I am directed to clarify that there is no provision in the Electricity Act, 2003 or the regulation for the Commission to entertain appeals by consumer against of Ombudsman, or for the licensee to appeal/represent to the Ombudsman or the

Commission against the decision of Forums. The very essence of the say is that, 5.3 should be considered only a way to guide Forum & Ombudsman to facilitate them to deliver justice and should not be used as weapon to get the desired order issued from Ombudsman. In fact Electricity Act envisages no role of Commission to redress the consumers' grievances at his own end.

- कार्यपालन यंत्री सतर्कता द्वारा पत्र क्र0 2744 दिनांक 26.09.2019 के पेरा 7 एवं 8 के अनुलग्नक (Enclosures) प्रेषित करते हुए श्याम फेरियस लिमिटेड गोपाल नगर विरुद्ध स्टेट आफ युपी एवं 6 अन्य न्याय निर्णय की प्रति प्रेषित की गई है। उपभोक्ता द्वारा सभी निर्णयों का अध्ययन किया तथा पाया कि कोई भी निर्णय इस प्रकरण से संबंधित नहीं है। निर्णय/विश्लेषण में कहीं नहीं लिखा है या निष्कर्ष नहीं निकला है कि 126 के प्रकरण की मांग धारा 56(2) से निरस्त नहीं हो सकती है।
- ध्यान में लाया जाता है कि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (ऑडिट) अथवा सतर्कता (vigilance) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिए अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा प्रथम देयक मासिक आधार पर जारी किए जावेंगे जिसके अंतर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने का आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जावेगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम नहीं होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरंतर जोड़ा जावेगा जब तक उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं हो जाता है। सतर्कता प्रकरणों की राशि को वसूली न हो पाने की स्थिति में 56(2) के तहत कालबाधित होने से बचाने के लिए उसे प्रथम डिमाण्ड के बाद भुगतान न होने पर माहवारी बिलों में निरंतर जोड़ा जावे। (यहां सतर्कता की सभी वसूली अर्थात् धारा 126 प्रकरण की वसूली सहित) अन्य सभी वसूली शामिल है अतः यह कहना कि 126 की डिमाण्ड राशि कालबाधित नहीं होती यह सही नहीं है।
- कृपया प्रकरण में विद्युत लोकपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.05.2017 एवं 08.11.2017 व अन्य समान प्रकरणों में जारी उपर दर्शाएं आदेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विद्युत लोकपाल ने नियामक आयोग के उन सभी मुद्दों पर न्यायिक विश्लेषण कर अपना निर्णय जारी किया है जो मुद्दे विद्युत वितरण कंपनी ने उठाए हैं एवं नियामक आयोग द्वारा पुनरीक्षण हेतु जारी किए गए आदेश में अंकित हैं। वितरण कंपनी को पर्याप्त समय दिया गया कि वे निम्न उठाए गए मुद्दे/आपत्तियों पर

- The above case of unauthorized use of electricity U/s 126 of Electricity Act cannot be converted in to or dealt with U/s 56(2) of the electricity Act.,
- The demand U/s 126 is not covered under grievances as per regulation 2.4(m) of the regulation.

लिंगल दस्तावेज प्रस्तुत करें, परन्तु अंत तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए ।

विद्युत लोकपाल द्वारा मे0 गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स, इन्डौर प्रकरण क्र0 एल00 15 /2017 दिनांक 08.11.2017 एवं मे0 जी0 एम0 मेटल्स, पीथमपुर, धार एल00 30 /2016 दिनांक 8.11.2017, दोनों पुनरीक्षित आदेश में कण्डिका बार विस्तार से उन सभी बिन्दुओं का जो नियामक आयोग द्वारा उठाए हैं उनका न्यायिक विश्लेषण कर यह प्रमाणित किया है कि उनके द्वारा कंपनी की आपत्ति को किस नियम के तहत या किस ग्राउण्ड पर खारिज किया है । उक्त निर्णयों को इस प्रकरण के साथ ध्यान में रख निर्णय होवे यह प्रार्थना है ।

❖ महोदय उपभोक्ता द्वारा पूर्व पेशी में उच्च न्यायालय के आदेश प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया है कि धारा 56(2) में any sum का क्या तात्पर्य है । इसका तात्पर्य (1) Arising from event of supply of electricity (2) Any amount of sum which is legally livable on supply of electricity can be recovered under U/s 56(1). Since all legally livable amount is recoverable under 56(1) thus conjugate article 56(2) must be applicable if not strong legal reasoning is required.

(जे) विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियामक आयोग को प्रेषित पीटीशन आवेदक पेज क्रमांक की कण्डिका 3.24 में नियामक आयोग का ध्यान माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा W.P. No. 204/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21 नवंबर 2014 पर आकर्षित कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) धारा 126 पर प्रभावी नहीं होगी । इस तरह का उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है । W.P. No. 204/2014 में पारित संपूर्ण निर्णय दिनांक 21 नवंबर 2014 की प्रति संलग्न है । पारित आदेश का आंशिक उदाहरण प्रस्तुत कर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है । न्यायाधीश महोदय द्वारा लेख किया है कि

1. पीटीशनर द्वारा बिना किसी आधार के limitation का बिन्दु उठाया है ।
2. न्यायाधीश महोदय ने आगे लेख किया है कि यह सही है कि निर्धारण की गई राशि अनअथाराईज्ड विद्युत उपयोग के कारण 2007 की है । तत्समय 2007 में ही उपयोगकर्ता का संयोग काटा जा चुका था ।
3. चूंकि वितरण कंपनी के पास उपयोगकर्ता का पता नहीं था कि बिल जारी रखे जा सकें । ऐसी दशा में धारा 56 (2) does not help the writ petitioner

4. Secondly section 56 does not envisages a scenario where the consumer is guilty of unauthorise use of electric supply. Consequently, Sub-Section (2) of Section 56 will not apply to the facts of the case.

ध्यान देने योग्य बात है कि उक्त निर्णय में कहीं उल्लेख नहीं है कि अनअथराईज्ड विद्युत का उपयोग (अर्थात् विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126) पाए जाने पर निर्धारित राशि पर धारा 56(2) लागू नहीं होती । Sub-Section (2) of section 56 will not apply to the facts of this case तात्पर्य यह है कि अनअथराईज्ड विद्युत का उपयोग (अर्थात् विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126) अंतर्गत निर्धारित राशि 56(2) के तहत कालबाधित तो होती है, पर इस प्रकरण विशेष में fact को देखते हुए अनअथराईज्ड विद्युत का उपयोग (अथवा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126) अंतर्गत निर्धारित राशि पर परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि धारा 56(2) apply नहीं होती है । विद्युत वितरण कंपनी इन्डौर द्वारा नियामक आयोग को प्रस्तुत आपत्ति आवेदन में Fact of the case अंतर्गत विभिन्न 23 बिन्दु पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के उदाहरण प्रस्तुत कर विधिक स्थिति स्पष्ट करने का भ्रामक प्रयास किया है । गंभीरता से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि दर्शाएं गए किसी भी बिन्दु का यह आशय नहीं निकलता है कि 126 के तहत जारी निर्धारण आदेश के तहत देय राशि 56(2) के तहत कालबाधित नहीं होती है ।

- (के) कार्यपालन यंत्री सतर्कता द्वारा पत्र क्रमांक 2744 दिनांक 26.09.2019 के पैरा 7 एवं 8 के अनुलग्नक प्रेषित करते हुए श्याम फेरियस लिमिटेड गोपाल नगर विरुद्ध स्टेट आफ यूपी एवं 6 अन्य न्याय निर्णय की प्रति प्रेषित की गई है । उपभोक्ताद्वारा सभी निर्णयों का अध्ययन किया तथा पाया कि कोई भी निर्णय इस प्रकरण से संबंधित नहीं है । निर्णय/विश्लेषण में कहीं नहीं लिखा है या निष्कर्ष नहीं निकला है कि 126 के प्रकरण की मांग धारा 56(2) से निरस्त नहीं हो सकती है ।

यह ध्यान में लाया जाता है कि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (ऑडिट) अथवा सतर्कता संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिए अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा प्रथक देयक मासिक आधार पर जारी किए जावेंगे जिसके अंतर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने का आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जावेगी । उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम नहीं होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरंतर जोड़ा जावेगा जब तक उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं हो जाता है ।

उपरोक्त विधा के तहत यह निर्देशित किया गया है कि सतर्कता प्रकरणों की राशि को वसूली न हो पाने की स्थिति में 56(2) के तहत कालबाधित होने से बचाने के लिए उसे प्रथम डिमाण्ड के बाद भुगतान न होने पर माहवारी बिलों में निरंतर जोड़ा जावे । (यहां सतर्कता की सभी वसूली अर्थात् धारा 126 प्रकरण की वसूली सहित) अन्य सभी वसूली शामिल हैं अतः यह कहना कि 126 की डिमाण्ड राशि कालबाधित नहीं होती यह सही नहीं है ।

विद्युत लोकपाल महोदय द्वारा वितरण कंपनी को पर्याप्त समय दिए जाने पर भी उनके द्वारा उठाएं गए निम्न मुद्दे/आपत्ति पर कानूनी तौर से मान्य होवे यह प्रमाणित करने हेतु लिगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी ।

- The above case of unauthorized use of electricity U/s 126 of Electricity Act can not be converted in to or dealt with U/s 56 (2) of the electricity Act,
- The demand U/s 126 is not covered under grievances as per regulation 2.4(m) of the regulation.

(एम) महोदय उपभोक्ता द्वारा पूर्व पेशी में उच्च न्यायालय के आदेश प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया है कि धारा 56(2) में any sum का तात्पर्य है । इसका तात्पर्य 1 Arising from event of supply of electricity 2 Any amount of sum which is legally leviable on supply of electricity can be recovered under U/s 56 (1). Thus conjugates 56 (2) must be applicable alongwith."

07. प्रस्तुत अपील तथा उभयपक्षों के प्रस्तुत कथन/साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वाद का बिन्दु अनावेदक द्वारा आवेदक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 126 'विद्युत के अनाधिकृत उपयोग' के लिए निकाली गई राशि से संबंधित है । जहां एक ओर आवेदक ने यह राशि धारा 126 के अंतर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में जारी निर्धारण आदेश से संबंधित होना स्वीकार करते हुए इस राशि को अधिनियम की धारा 56(2) में कालबाधित बताते हुए निरस्त किए जाने संबंधी तर्क प्रस्तुत किया है, अनावेदक ने प्रकरण को मूलतः धारा 126 से संबंधित बताते हुए लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर होने, धारा 56(2) के प्रावधान लागू नहीं होने संबंधी तर्क प्रस्तुत किए हैं ।

08. प्रस्तुत अपील में दिए गए तथ्यों, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/किए गए कथनों का विद्युत अधिनियम 2003, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा फोरम/विद्युत लोकपाल स्थापना विनियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के आधार पर तथा माननीय आयोग के आदेश दिनांक

22.10.2018 में माननीय आयोग द्वारा दी गई टिप्पणियों के प्रकाश में प्रकरण की निम्नानुसार विवेचना की गई :—

(ए) उभयपक्षों द्वारा धारा 56(2) के संदर्भ में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस धारा का अवलोकन किया गया ।

56. Disconnection of supply in default of payment. -

(1) Where any person neglects to pay any charge for electricity or any sum other than a charge for electricity due from him to a licensee or the generating company in respect of supply, transmission or distribution or wheeling of electricity to him, the licensee or the generating company may, after giving not less than fifteen clear day's notice in writing, to such person and without prejudice to his rights to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply of electricity and for that purpose cut or disconnect any electric supply line or other works being the property of such licensee or the generating company through which electricity may have been supplied, transmitted, distributed or wheeled and may discontinue the supply until such charge or other sum, together with any expenses incurred by him in cutting off and reconnecting the supply, are paid, but no longer:

Provided that the supply of electricity shall not be cut off if such persons deposits, under protest,-

- (a) an amount equal to the sum claimed from him, or
- (b) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months,

Whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licensees.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.

उक्त धारा 56 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसकी उपधारा 56 (1) अनुज्ञापितारी को अपने वसूली योग्य राशि का भुगतान प्राप्त न होने पर विद्युत उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का विद्युत प्रदाय बंद किए जाने का अधिकार प्रदान करता है किन्तु इसके साथ ही उपधारा 56 (2) अनुज्ञापितारी को इस अधिभार के प्रयोग से उस स्थिति में वंचित करता है जबकि वसूली योग्य रकम में तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई है, 2 वर्ष की कालावधि के पश्चात् वसूली किए जाने योग्य नहीं होगी । जब

तक ऐसी रकम सप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो। इस उपधारा में रकम की वसूली कालबाधित होने संबंधी प्रस्तुत परिदृश्य के विस्तार एवं प्रभाव क्षेत्र (Sphere of influence) की मर्यादा केवल धारा 56 के प्रावधान अर्थात् “भुगतान न करने पर विद्युत प्रदाय का विच्छेदन” तक ही सीमित रखी गई है।

अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा तथा माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता द्वारा क्रमशः WP 61204 / 2015, एवं LPA No. 605/2009 & 18 अन्य में पारित आदेशों के प्रस्तुत दृष्टांतों के अवलोकन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है कि धारा 56(2) में राशि कालबाधित होने पर केवल अनुज्ञाप्तिधारी को धारा 56(1) में राशि की वसूली हेतु उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने का प्रदत्त अधिकार कालबाधित होता है, किन्तु यह राशि या इस राशि की वसूली अन्य उपलब्ध विधि विकल्पों के अन्तर्गत कालबाधित नहीं होती है।

(बी) अनाधिकृत विद्युत उपयोग के लिए धारा 126 के अन्तर्गत आरोपित राशि के धारा 56(2) में प्रस्तुतीकरण संबंधी आवेदक की अपील पर विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई कर निर्णय लिए जाने के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आवेदक और अनावेदक द्वारा फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका 2.4(m) एवं 4.11(a) तथा अधिनियम की धारा 56(2) के संदर्भ में अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में इन कण्डिकाओं का, जो निम्नानुसार उद्घृत हैं, अवलोकन किया गया :—

2.4.(m) Grievance shall mean a dissatisfaction of the Consumer arising out of the failure of the Licensee to register or redress a Complaint and shall include any dispute between the Consumer and the Licensee with regard to any Complaint or with regard to any action taken by the Licensee in relation to or pursuant to a Complaint filed by the affected person. However, the matters falling within the purview of any of the following provisions of the Act will not form a grievance under these Regulations:

- (i) Unauthorised use of electricity as provided under Section 126 of the Act;
- (ii) Offences and penalties as provided under Sections 135 to 139 of the Act;
- (iii) Compensation related to accident in the distribution, supply or use of electricity as provided under Section 161 of the Act; and

(iv) Recovery of arrears where the bill amount is not disputed.

4.11 The Electricity Ombudsman shall discharge the following functions:

(a) May receive and consider all representations filed by the Complainant for non-redressal of the grievance by the Forum under Sub-section (5) of Section 42 of the Act. Notwithstanding the above the Ombudsman shall not entertain any representation in regard to the matters which are subject matters of existing or proposed proceedings before the Commission or before any other authority including those under part X, XI, XII, XIV,XV and XVI of the Act.

इस संबंध में इन कण्डिकाओं और धारा 56 के प्रावधानों, का अवलोकन किया गया । यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत वाद धारा – 126 के अन्तर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के लिए आरोपित राशि की वसूली से संबंधित है । इस परिप्रेक्ष्य में उक्त कण्डिकाओं और धारा 56 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि धारा – 126 के प्रकरणों पर धारा 56(1) एवं 56(2) के प्रावधान लागू होते हैं तथापि वाद की राशि मूलतः धारा – 126 के अन्तर्गत प्रावधानित विद्युत के अनाधिकृत उपयोग से सीधे तौर पर सम्बद्ध होने से प्रश्नाधीन प्रकरण की विषय वस्तुत धारा 126 के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और कण्डिका 2.4(m) के प्रावधान अनुसार यह फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 के अन्तर्गत ‘शिकायत’ के रूप में मान्य नहीं की जा सकती है वहीं कण्डिका 4.11(a) के प्रावधान अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण पर विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई कर समुचित निर्णय लिया जाना उनके क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नहीं आता है ।

09. उक्त विवेचना से प्रकरण में निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :-

(i) जहां अधिनियम की धारा 126 के प्रकरणों में जारी निर्धारण आदेश की राशि पर भी धारा 56 के प्रावधान लागू होना सिद्ध होता है वहीं दूसरी ओर यह भी सिद्ध होता है कि धारा 56(2) के प्रावधान केवल 56(1) में अनुज्ञप्तिधारी को अपने बकाया राशि की वसूली के लिए उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय का विच्छेदन करने के प्रदत्त अधिकार को ऐसी राशि कालबाधित होने पर सीमित करता है किन्तु ऐसी राशि या इसकी वसूली को कालबाधित करते हुए निरस्त नहीं करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारा 126 में जारी निर्धारण आदेश की राशि वसूली हेतु कालबाधित मानते हुए इस राशि को निरस्त करने का निर्णय देते हुए आदेश दिनांक 22.02.2018 पारित करने में विद्युत लोकपाल से धारा 56(2) के प्रावधानों की समुचित वैद्यानिक

व्याख्या करने में भूल हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पारित आदेश में विधिक त्रुटि कारित हुई है ।

- (ii) अधिनियम की धारा 126 – विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में जारी निर्धारण आदेश की राशि पर उक्त स0क्र0 1 में प्राप्त निष्कर्षों अनुसार धारा 56(2) के प्रावधान लागू होने के बाद भी फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका 2.4 (m) के प्रावधान अनुसार इस राशि का धारा 56(2) में किया गया प्रस्तुतीकरण ‘शिकायत’ की परिधि में नहीं आने तथा संहिता की कण्डिका 4.11(a) के प्रावधान अनुसार ऐसे प्रकरणों पर सुनवाई कर समुचित निर्णय पारित किया जाना फोरम एवं विद्युत लोकपाल के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आने का निष्कर्ष प्राप्त होता है ।

उक्त स0क्र0 (i) एवं (ii) में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सिद्ध होता है कि विद्युत लोकपाल द्वारा आदेश दिनांक 18.05.2017 एवं पुनरीक्षित आदेश दिनांक 08.11.2017 को पारित करने में संहिता की कण्डिका 2.4(m) एवं 4.11(a) तथा अधिनियम की धारा 56(2) के प्रावधानों की समुचित वैधानिक व्याख्या करने में भूल हुई जिसमें पारित आदेशों में स्पष्ट वैधानिक त्रुटि कारित हुई । अतः इन आदेशों को अकृत एवं शून्य (Null & Void) घोषित किया जाना न्यायोचित होगा ।

10. प्रकरण में प्राप्त उक्त निष्कर्षों के आधार पर विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 18.05.2017 एवं पुनरीक्षित आदेश 08.11.2017 को अकृत एवं शून्य (Null & Void) घोषित करने का निर्णय लिया जाता है और आवेदक की अपील बिना किसी निर्णय के खारिज की जाती है ।
11. उक्त निर्णय के साथ माननीय आयोग के आदेश दिनांक 04.07.2018 का पालन होकर प्रकरण समाप्त होता है ।
12. माननीय आयोग के आदेश दिनांक 04.07.2018 के पालन प्रतिवेदन स्वरूप इस आदेश की एक प्रति सचिव, म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को पृथक से प्रेषित हो ।
13. उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार एवं फोरम अलग से सूचित हों ।

विद्युत लोकपाल